



राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण

जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

National Water Development Agency

Ministry of Jal Shakti, Government of India

(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)



संख्या: 10/66/2009-प्रशा/खंड-11/3237

दिनांक: 30/12/2020

सेवा में,

मुख्य अभियंता (दक्षिण),
राजविअ,
हैदराबाद ।


विषय: चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए दावे प्रस्तुत करने की अवधि सीजीएचएस के तहत 6 महीने तक अनुमति देने बाबत।

संदर्भ: आपके कार्यालय पत्रांक 23/फ.01/मेडिकल/2017/प्रशा/1613 दिनांक 27.11.2020.

महोदय,

उपरोक्त आपके संदर्भित पत्र के अनुक्रम में यह कहना है, कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, नई दिल्ली कार्यालय ज्ञापन क्रमांक 1/60/2017/दिनांक 01.06.2020 के अनुसार सीजीएचएस के तहत चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए दावे प्रस्तुत करने की समय सीमा 3 माह से बढ़ाकर 6 माह कर दी है। अतः आपसे अनुरोध है कि श्री के. वी. वी. एस. एस. पी. का चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा उपरोक्त ज्ञापन के तहत निपटान करें।

यह पत्र सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।


28/12/20
(राजेश कुमार)
उप निदेशक (प्रशा)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. मुख्य अभियंता (उत्तर), राजविअ, लखनऊ।
2. निदेशक (वित्त./तक./एमडीयू), राजविअ, साकेत, नई दिल्ली।
3. अधिक्षण अभियंता-1/11, राजविअ, पालिका भवन, नई दिल्ली।
4. सभी अधिक्षण अभियंता, अन्वेषण वृत्त, राजविअ।
5. सभी अधिशासी अभियंता, अन्वेषण प्रभाग, राजविअ।
6. लेखा अधिकारी, राजविअ, साकेत, नई दिल्ली।
7. सभी अधिकारियों/कर्मचारियों में परिचालन हेतु।
8. सूचना पट्ट, साकेत/पालिका भवन, राजविअ, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. महानिदेशक के निजी सचिव, राजविअ, साकेत, नई दिल्ली।
2. मुख्य अभियंता (मुख्या0) के निजी सचिव, राजविअ, साकेत, नई दिल्ली।